106

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर म0प्र0

R 203-I/17

निगरानी प्रकरण कमांक: /2017 छत्तरपुर

कृष्ण चन्द्र चौरसिया पुत्र स्व. श्री दीन दयाल चौरसिया निवासी ग्राम नारायणपुरा, बस स्टेण्ड के पास, छत्तरपुर म0प्र0

——— आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर म0प्र0

——— अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 16/1/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट, 16/1/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता वास्ते निगरानी किये जाने बावत ।

माननीय महोदय,

आवेदक निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–2013 जो योग्य अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर, भू–अभिलेख, जिला छत्तरपुर म0प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक 1042 भू.अ./स.अ.भू.अ./13 में पारित किया जिसमें मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी निम्न आधारो पर किये जाने हेतु निवेदन है ।

16-1-2017

1— यहकि, आवेदक द्वारा ग्राम नारायणपुरा तहसील एवं जिला छत्तरपुर में स्थित पटवारी हल्का नम्बर 55 के भूमि खसरा 492/2 में से रकवा .0089, 492/2 का रकवा 0015, 492/5, का रकवा .0089, 493/1ख/1 का रकवा 0.299, 493/1ख/2 रकवा 0.212, 493/1ख/3 का रकवा 0.212, 493/2/1 का रकवा 0.270, 493/2/2 का रकवा 0.212, 493/2/3/2 का रकवा 0.270, 493/2/2 का रकवा 0.269, 493/2/3/2 का रकवा .0070 है । जिसका कुल रकवा 1.437 (एक हैक्टर चार सौ सैतीस आरे) जमीन भूमि खसरा नम्बर 493/1/2 भूमि वर्ष 1955–56 में श्री गुलाब सिंह के नाम से दर्ज रही है एवं भूमि खसरा तद्परान्त 1966–67 में राजबहादुर कायस्त के नाम से दर्ज चली आ रही है

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक 203/एक/2017 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
6-2-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, भू–अभिलेख जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 1042 भू.अ./स.अ./भू.अ./13 में पारित आदेश दिनांक 26–6–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50. के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम नारायणपुरा तहसील एवं जिला छतरपुर में स्थित पटवारी हल्का नं0 55 के भूमि खसरा 492/2 में से रकवा 00.89, 492/2 का रकवा 00.15 , 492/5 का रकवा 0089, 493/1ख/1 का रकवा 0.299, 493/1ख/2 रकवा 0.212, 493/1ख/3 का रकवा 0.212, 493/2/1 का रकवा 0.270, 493/2/2 का रकवा 0.212, 493/2/3/2 का रकवा 0.270, 493/2/2 का रकवा 0.269, 493/2/3/2 का रकवा 00.70 है जिसका कुल रकवा 1.437 (एक हैक्टर चार सौ सैतीस आरे) भूमि वर्ष 1955–56 में श्री गुलाब सिंह के नाम दर्ज रही है एवं भूमि खसरे तत् उपरान्त 1966–67 में राज बहादुर कायस्त के नाम से दर्ज रही है । इसके पश्चात् उक्त भूमि वर्ष 2009–10 में आवेदक कृष्णचन्द्र चौरसिया पुत्र स्व. श्री दीनदयाल चौरसिया के भूमि स्वामी के नाम से दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि पर आवेदक का निरन्तर वदस्तूर कब्जा चला आ रहा है । भूमि कय करने के पश्चात् आवेदक द्वारा नामान्तरण नहीं कराया गया ।	

आवेदक द्वारा अपनी भूमि खसरा नं0. 493/1ख/3 रकवा 0.212 हैक्टर में से रकवा 0.018 हेक्टर को जयदेव सिंह बुन्देला पुत्र श्री गोविन्द सिंह बुन्देला को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एम/1425 दिनांक 06—01—2014 के अनुसार नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । हल्का पटवारी से मौका स्थल जांच प्रतिवेदन लिया गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि खसरा नं. 493/1ख/3 एकत्र रकवा 0.212 हैक्टर में से रकवा 0.018 हैक्टर स्थित भूमि मौजा नारायणपुरा वर्ष 1058—59 की खतौनी के अनुसार शासकीय दर्ज होना प्रतिवेदित किया गया है तहसीलदार के आदेश दिनांक 30—12—2016 से निरस्त कर दिया गया । परन्तु उक्त आदेश कलेक्टर के आदेश दिनांक 26—6—2013 के पालन में निरस्त किया गया है इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3— प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि आवेदक की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विक्रय पत्र के आधार नामान्तरण आवेदन प्रस्तत किया था जो बिना किसी पर्याप्त कारण के निरस्त कर दिया गया है, जबकि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने का अधिकार राज़स्व न्यायालय का है, ऐसी स्थिति में जो आदेश पारित किया गया है वह अपास्त किया जावे ।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय के आदेश के पालन में विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरण आवेदन निरस्त किया गया है जबकि विक्रय पत्र के आधार नामान्तरण किये जाने का प्रावधान है । व्यवहार न्यायालय में श्रीमती रामकुंवर बाई का वादग्रस्त भूमि मालिक मानकर विक्रय के आधार पर नामान्तरण किया गया उपरोक्त आदेश आवेदक के प्रकरण में पूर्णतः लागू होता है । ऐसी स्थिति में उक्त आदेश पर विचार कर निगरानी स्वीकार किये जाने एवं आवेदक के नाम विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

4— अनावेदक की ओर से उनके शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि श्रीमान् कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन कर तहसीलदार ने नामान्तरण आवेदन निरस्त किया है उक्त आदेश विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया

5— प्रकरण में आवेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण की मांग की है और विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने का कार्य राजस्व न्यायालय का है विक्रय पत्र के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच कर नामान्तरण आदेश किया जाना चाहिये । क्योंकि विक्रय की वैधता के सम्बन्ध में जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । इसी भूमि के सम्बन्ध में एक व्यवहार न्यायालय का वाद श्रीमती रामकुंवर बाई को भूमि मालिक के विक्रय पत्र से नामान्तरण किया जाना माना गया । जिसके द्वारा तहसीलदार का आदेष दिनांक 8—7—2009 निरस्त किया गया । जिससे भूमि शासकीय घोषित की गयी थी, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश आवेदक के प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू होता है जिस पर विचार किये बिना कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह स्थिर रखे जानें योग्य नहीं है ।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—6—2013 विधिवत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से अपास्त किया जाता है एवं भूमि खसरा 492/2 में से रकवा 00.89, 492/2 का रकवा 00.15 , 492/5 का रकवा 0089, 493/1ख/1 का रकवा 0.299, 493/1ख/2 रकवा 0.212, 493/1ख/3 का रकवा 0.212, 493/2/1 का रकवा 0.270, 493/2/2 का रकवा 0.212, 493/2/3/2 का रकवा 0.270, 493/2/2 का रकवा 0.269, 493/2/3/2 का रकवा

00.70 है जिसका कुल रकवा 1.437 (एक हैक्टर चार सौ सैतीस आरे) पर आवेदक के हित में किये गये विक्रय पत्र आधार पर नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त आदेश का अमल राजस्व अभिलेख में कराया जाये, अतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है । कलेक्टर का आदेश दिनांक 26—6—2013 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है ।

सदस्य